उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यूरोड, लखनऊ– 226001

फोन : 0522 – 2238846, +91–9151024461

Website:www.upmedicalcouncil.org Email:upmedicalcouncil@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–7243/22 दिनांक 28/07/2022

समयबद्ध / अतिआवश्यक

सेवा में,

डीन / प्रधानाचार्य,
समस्त मेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश।

विषय–स्थायी पंजीकरण (परमानेन्ट) रजिस्ट्रेशन कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में समस्त मेडिकल कालेजों को निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल द्वारा अस्थायी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा होती है। आप अपने कालेज के समस्त छात्र / छात्राओं के अस्थायी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन ही करें। समस्त छात्र / छात्राओं को अपने स्पष्ट फोटो, हस्ताक्षर कॉलेज के डीन / प्रधानाचार्य के द्वारा सत्यापन / हस्ताक्षर, एवं मोहर के साथ प्रमाणित ही कर अपलोड करें।

अतः आपको अवगत कराना है सभी छात्र / छात्राओं अपनी इन्टर्नशिप समाप्त होने के पश्चात् अपने अस्थायी पंजीकरण (प्रोविजनल) ऑनलाइन पोर्टल से स्थायी पंजीकरण (परमानेन्ट) के लिये आवेदन करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् कालेज द्वारा ही सत्यापन एवं इन्टर्नशिप कम्पलीशन सर्टिफिकेट (आई0सी0सी0) प्रधानाचार्य / डीन द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कराकर एक माह के भीतर ही अपलोड करें। जिससे छात्र / छात्राओं को स्थायी पंजीकरण (परमानेन्ट) उनके पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा सके।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको यह भी अवगत कराना है कि किसी भी दशा में व्यक्तिगत / ऑफलाइन आवेदन फार्म स्वीकार नही किये जायेगें और न ही व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल लखनऊ मे केवल पंजीकरण शुल्क + जी0एस0टी0 ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाता है। पंजीकरण शुल्क केवल एक बार ही जमा करें, किसी भी प्रकार के error/pay now option आने पर किसी भी दशा में repayment न करें। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क देय नही है।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल।